न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/07/2020	2020/00031	02-03-2020	01-03-2021

01— रविन्द्र कुमार मीना पुत्र स्व0 श्री किशोरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगल बास रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राज0। —अपीलान्ट

बनाम

01— तहसीलदार रैणी जिला अलवर राज0 —रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रैणी का निर्णय दिनांक 21.07.2004 नामान्तकरण संख्या 1960 ग्राम नांगल बास रैणी तह0 रैणी जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री राजेश कुमार शर्मा —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 21.07.2004 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1960 ग्राम नांगल बास रैणी तह0 रैणी जिला अलवर को बैजा तोर पर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरातेहुए निवेदन किया कि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार हाल जमाबंदी संवत 2057—2060 वाके ग्राम रैणी अ, पटवार क्षेत्र रैणी तहसील राजगढ़ हाल तहसील रैणी नया खाता संख्या ,117 व पुराना खाता संख्या 110 के अनुसार खसरा नम्बर 893, 894 कुल किता 02 रकबा 01.05 है0, नया खाता सं0 135 पुराना खाता सं0 122 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 921, 928 कुल किता 02 रकबा 0.53 है0, नया खाता सं0 315 पुराना खाता सं0 316 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2740 किता 1 रकबा 0.45 है0, नया खाता सं0 316 पुराना खाता सं0 318 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 890, 891 कुल किता 2 रकबा 0.88 है0,

01/3/21
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

नया खाता सं0 317 पुराना खाता सं0 319 के अनुसार खसरा नम्बर 2576 कुल रकबा 4.35 है0, नया खाता सं0 318 पुराना खाता सं0 320 के अनुसार खसरा नम्बर 2647, 2695, 2696, नया खाता सं0 319 पुराना खाता सं0 317 के अनुसार खसरा नम्बर 2735, 2734, 2736, नया खाता सं0 320 व पुराना खाता सं0 315 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 876 रकबा 0.46 है0, 879 रकबा 0.47 है0, 2575 रकबा 0.30 है0, 2752 रकबा 0.20 है0, 5753 रकबा 0.57 है0, नया खाता सं0 1308 पुराना खाता सं0 1054 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2485, 2490, 2493, 2574 कुल किता 04 रकबा 1.48 है0 मौके पर स्थित है। मिन अपीलांट व उसके अन्य सह काश्तकारों की कब्जा काश्त मजाहमत चली आ रही है तथा मिन अपीलांट को उक्त आरजी अपने पिता मृतक किशोरी लाल पुत्र रामजीलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। मिन अपीलांट के मृतक पिता के ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार अन्य कोई वारिस नहीं है। मिन अपीलांट को गांव में किरोड़ी लाल के नाम से पुकारते है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात् एवं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड आदि में प्रार्थी अपीलांट का नाम रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री किशोरी लाल ही दर्ज है। मृतक किशोरीलाल पुत्र रामजीलाल की आराजीयात का विरासत इंतकाल खोले जाने हेतु हल्का पटवारी रैणी अ के द्वारा विरासत इंतकाल सं0 1960 दर्ज किये जाने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.06.2004 को पेश किया लेकिन ग्राम पंचायत रैणी के कोरम पूर्ति के अभाव में इन्तकाल दर्ज नही हो सका तथा दिनांक 22.06.2004 को इंतकाल ग्राम पंचायत रैणी की बैठक में पेश हुआ जिस पर प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण तस्दीक नहीं हुआ और इस कारण से रैस्पो0 से हल्का पटवारी रैणी अ ने विरासत इंतकाल खोलने की स्वीकृति दिनांक 21.05.2004 को मांगी गई थी तथा ग्राम पंचायत रैणी के सजरा के अनुसार मिन अपीलांट का नाम किरोडी लाल दर्ज करते हुये इंतकालाधीन आरजी में दर्ज हो गया जो राजस्व रेकॉर्ड अमालात में दर्ज है। मिन अपीलांट का नाम किरोडी लाल पुत्र किशोरी लाल किसी भी दस्तावेज में नहीं है ना ही किरोड़ी लाल पुत्र स्व0 श्री किशोरी लाल नाम का कोई दीगर व्यक्ति गांव में है। मिन अपीलांट को अषनी आराजी पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं किसान कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी रैणी अ के पास गया एवं जमाबंदी तथा राजस्व रेकॉर्ड का निरीक्षण करने पर जानकारी में आया कि मिन अपीलांट का नाम सहवन से इंतकालाधीन आराजी में बहिस्से अनुसार किरोड़ी लाल पुत्र किशोरी लाल दर्ज हो गया है। मिन अपीलांट को इंतकालाधीन समस्त आराजीयात की नकल प्राप्ती हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 06.11. 2019 को प्राप्त हुई। इंतकाल दिनांक 21.07.2004 से अपीलांट की जानकारी दिनांक 06.11.2019 तक को माफ फरमाया जावें। नकल प्राप्ती दिनांक 06.11. 2019 से अपील अपीलांट अन्दर मियाद पेश है। पृथक से दफा 5 मियाद

01/3/21
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अधिनियम का प्रा0पत्र पेश है। प्रथमदृष्ट्या अपील अपीलांट सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति कारित हो रही है। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.07.2004 इंतकाल संख्या 1960 ग्राम नांगल बास रैणी तह0 रैणी को किरोड़ी लाल पुत्र स्व0 किशोरी लाल की हद तक अपास्त फरमाकर इंतकाल में अपीलांट का नाम रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री किशोरी लाल दर्ज व स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 21.07.2004 के विरूद्ध दिनांक 27.02.2020 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 16 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि साधारण नही है, अपीलान्ट ने अपील जानबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि इंतकाल सं0 1960 दिनांक 21.07.2004 ग्राम नांगल बास रैणी तहसील रैणी में अपीलांट का नाम किरोड़ी लाल पुत्र स्व0 श्री किशोरी लाल दर्ज है तथा अपीलांट द्वारा पेश आधार कार्ड में रविन्द्र कुमार मीना पुत्र किशोरी लाल मीना नाम दर्ज है। जिससे यह प्रतीत नहीं होता है कि अपीलांट किरोड़ी लाल ही रविन्द्र कुमार मीना हो। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट नाम दुरूस्ती के लिए सक्षम न्यायालय में उचित अनुतोष हेतु नियमित वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/3/21

(कमलराम मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर